भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2241
08 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः शीतागारों की स्थापना के लिए ऋण सहायता

2241. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्री नारायण कोरागप्पाः
श्री मदन राठौड़ः
श्री नरहरी अमीनः
श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बाराः
श्रीमती धर्मशीला गुप्ताः
श्री राजीब भट्टाचार्जीः
श्री बाबू राम निषादः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत शीतागारों की स्थापना के लिए ऋण सहायता प्रदान की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने फलों और सब्जियों के लिए शीतागार सुविधाओं की मांग और उपलब्धता का आकलन किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोल्ड स्टोरेज का घटक मांग आधारित/उद्यमी द्वारा संचालित है, जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रंट विलेजों, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के संदर्भ

में परियोजना लागत के 50% की दर से संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूहों, साझेदारी/प्रोप्राइटरी फर्मों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, स्थानीय निकायों, कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) और विपणन बोर्डों तथा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "कोल्ड स्टोरेज का निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण और बागवानी उत्पादों के भंडारण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 20000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण के निर्माण/विस्तार /आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 35% और पूर्वोत्तर, पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में 50% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है।

(ग) और (घ): नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) द्वारा वर्ष 2015 में "अखिल भारतीय कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता (एआईसीआईसी-2015)" पर किए गए अध्ययन के अनुसार, उस समय कोल्ड स्टोरेज की अपेक्षित क्षमता, वर्ष 2014 में उपल्ब्ध 318.23 लाख मीट्रिक टन की क्षमता की तुलना में उपलब्ध 351.00 लाख मीट्रिक टन थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में देश में आज की स्थिति के अनुसार, 8815 शीत भंडारण हैं जिनकी क्षमता 402.18 लाख मीट्रिक टन है। कोल्ड स्टोरेज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुबंध - I

दिनांक 30.06.2025 तक देश में कोल्ड स्टोरेज का राज्य-वार वितरण का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या	क्षमता (एमटी)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	45	212662
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़ (यूटी)	7	12462
7	छत्तीसगढ	132	586863
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1023	4042770
11	हरियाणा	387	886656
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू एवं कश्मीर	96	382564
14	झारखंड	60	250077
15	कर्नाटक	271	930379
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप (यूटी)	1	15
18	मध्य प्रदेश	341	1498651
19	महाराष्ट्र	672	1259932
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	ओडिशा	182	579321
25	पुदुचेरी(यूटी)	4	185
26	पंजाब	780	2642715
27	राजस्थान	192	661876
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	117	627131
31	त्रिपुरा	14	46354
32	उत्तर प्रदेश	2489	15101408
33	उत्तराखंड	62	206848
34	पश्चिम बंगाल	517	5952997
		8815	**40218862**

(स्रोत: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) 2009 तक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।
